


निर्णय दिनांक ११/०१/२१

दी की और से श्री सुरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता, राजपेरोकार की उपस्थिति में आज दिनांक ११/०१/२१ को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर मुताबिक राजीनामा वादी संख्या 1 राहुल कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश को वाके चक 24 एस एस डबल्यू खाता संख्या 104/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.798 है० मे से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादी संख्या 2 सर्वजीत सींवर व प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 प्रवीण कुमार को वाके चक 24 एस एस डबल्यू खाता संख्या 104/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.798 है० मे से 1/2 हिस्सा यानि 2.399 है० मे प्रत्येक 1/3 हिस्सा का व वाके चक 23 एस एस डबल्यू खाता संख्या 184/168 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.677 है० भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर का व वाके चक 13 एस टी जी खाता संख्या 79/71 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.581 है० भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाके चक 24 एस एस डबल्यू खाता संख्या 104/80, चक 23 एस एस डबल्यू खाता संख्या 184/168 व चक 13 एस टी जी खाता संख्या 79/71 मे से प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक ११/०१/२१ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।



जयमेव जयते

Web Copy - Not Official

मिलान किया

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़ ३३

प्रमाणित प्रतिलिपि

३
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़